राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकःपं. 9/पैरामेडि.कौं/मान्यता/2022/ 394 दिनांक :– 23/05/2022

–ःःकार्यालय आदेशःः–

Krishna College of Life Sciences, Near Krishna Hospital, R.C. Vyas Colony, Devriya Balaji Road, Bhilwara. को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5854 दिनांक 27.11.2015 संस्थान को डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन रेडिऐशन टैक्नोलोजी, डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन हेतु 25 सीटो की अस्थाई मान्यता दी गई थी।

राजस्थान पैरामेडिकल एक्ट 2008 नियम/विनियम 2014 के Part XV Rule 53(1)A के प्रावधानों की अनुपालना में मान्यता प्राप्ति के 05 वर्ष उपरान्त स्वंय के भवन में संस्थान को शिफ्ट किये जाने का प्रावधान है।

संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में सीट वृद्धि हेतु आवेदन किये जाने पर दिनांक 07.01.2022 को कराये गये निरीक्षण एवं पत्रावली के परीक्षण उपरान्त आपके संस्थान में पाई गई कमियो के संबंध में इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक 359 दिनांक 18.05.2022 दिया जाकर नोटिस में वर्णित निम्न बिन्दुओ पर व्यक्तिशः कारण स्पष्ट करने हेतु लिखा गया था।

1. Institute of Krishna College of Life Science, Bhilwara. is not having own building even after 5 year and is still in rented building from Kailash chand Kabra S/o Ladu Ram kabra.

उपरोक्त नोटिस के लिखित जवाब में संस्था के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित कथन प्रस्तुत किया, जाकर अवगत करवाया कि संस्था स्वंय के भवन में संचालित है संस्था कृष्णा मेडिकल सोसायटी, भीलवाडा की ही ईकाई है एवं कृष्णा हॉस्पिटल भी कृष्णा मेडिकल सोसायटी, भीलवाडा की ईकाई है, डॉ. कैलाशचन्द काबरा, कृष्णा मेडिकल सोसायटी के अध्यक्ष है। एवं जमीन का आवंटन भी डॉ. कैलाशचन्द काबरा अध्यक्ष कृष्णा मेडिकल सोसायटी भीलवाडा के नाम पर हो रखा है, इसी पर बिल्डिंग बनी हुई है, अर्थात संस्था भी कृष्णा मेडिकल सोसायटी का ही भाग ईकाई है।

इस संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई एवं उपलब्ध रिकार्ड, पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्थान/कॉलेज द्वारा मान्यता प्राप्ति करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ भवन का किरायानामा प्रस्तुत कर संस्थान को किराये के भवन में संचालित किया गया था। इसके उपरान्त संस्थान द्वारा आज दिनांक तक ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जिससे किराये के भवन से संस्थान को स्वंय के भवन में स्थानान्तरित करने की अनुमति चाही गई हो। सुनवाई के दौरान यह संस्थान द्वारा यह स्वीकार किया गया कि संस्थान को किराये के भवन से स्वंय के भवन में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल को सूचना दिये/अनुमति लिये बिना ही स्थानान्तरित कर लिया गया है।

संस्थान के किराये के भवन का निरीक्षण कर नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर कोर्स संचालन की अनुमति दी गई थी संस्थान ने नये भवन का निरीक्षण कराये बिना संस्थान को अन्य भवन में स्थानान्तरित किया है। नया भवन आरपीएमसी के विनियम 2014 संशोधित विनियम 2015 के 53(A) में वर्णित Physical Facility के मापदण्डो के अनुरूप है अथवा नहीं ज्ञात नहीं है, तथा नया भवन संस्थान के स्वंय के स्वामित्व का ही है, इसे भी प्रमाणित नहीं किये जाने के कारण संस्थान द्वारा उपरोक्त विनियमो का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है।

अतः Krishna College of Life Sciences, Near Krishna Hospital, R.C. Vyas Colony, Devriya Balaji Road, Bhilwara. (अध्यक्ष कृष्णा मेडिकल सोसायटी भीलवाडा.) को शैक्षणिक सत्र 2021–22 से आगामी शैक्षणिक सत्रो के लिये डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन रेडिऐशन टैक्नोलोजी पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमो में छात्रो के प्रवेश आवंटन पर अस्थाई रूप से रोक लगाई जाती है।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर
सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांक:पं. 9/पैरामेडि.कौं/मान्यता/2022/ 394 दिनांक:– 23/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अध्यक्ष, कृष्णा मेडिकल सोसायटी, भीलवाडा ।
2. प्रधानाचार्य, (Krishna College of Life Sciences, Near Krishna Hospital, R.C. Vyas Colony, Devriya Balaji Road, Bhilwara..)
3. लेखा/काउन्सलिंग/परीक्षा/विधि/पंजीयन/स्टोर शाखा कार्यालय हाजा को पालनार्थ।
4. सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
5. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार